● अंक 24 ● संख्या 3
● मार्च, 2017

ह्यूमन राइट्स समाचार

सम्पादक की कलम से

पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी समुदायों की छात्राओं के लिए बने आवासीय विद्यालयों में रहने वाली लड़कियों पर यौन हमले के विषय में मीडिया में रिपोर्ट आती रही हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर ऐसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है। ये घटनाएं मुख्यतः उन राज्यों में घटित होती हैं, जहां आदिवासी समुदायें की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है तथा सरकारों ने इन समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध किए हैं।

अभी हाल ही में, महाराष्ट्र राज्य के आवासीय विद्यालयों के विषय में आरोप लगाए गए थे। आयोग, राज्य सरकार से इन आरोपों को देखते हुए अपेक्षित रिपोर्ट हेतु प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले माह हाजीपुर, बिहार में आवासीय विद्यालय में यौन हमले एवं छात्रा की मौत की भी रिपोर्ट देखने को मिली।

ये घटनाएं भले ही किसी भी राज्य की हों, यह स्पष्ट करती हैं कि मासूम लड़कियां, चाहे वह आवासीय विद्यालय की चार दीवारी के भीतर ही क्यों न हों, यौन हमले की चपेट में कभी भी आ सकती हैं। इस संबंध में एक नियमित ड्रिल के रूप में उच्चाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर कड़ी निगरानी रखे जाने का तंत्र होना चाहिए। अन्यथा, शिक्षा के माध्यम से आदिवासी समुदायों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का महान विचार इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा।

अभी तक एक और घटना सामने आई है जिसमें 25 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश में धार जिले के भूटिया और होलीब्यादा गांवों की 9 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सामूहिक बलात्कार, यौन हमले एवं छेड़छाड़ में पुलिसकर्मी संलिप्त पाए गए। इस बीच, आयोग ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार एवं यौन हमले की अनेक महिलाएं शिकार बन चुकी हैं। साथ ही, आयोग के हस्तक्षेप से मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु 'कार्य योजना' सहित राज्य सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित किया गया। न्यूजलेटर के इस अंक में इन विषयों पर चर्चा की गई है।

निश्चित तौर पर हम इन घटनाओं को अपवाद के रूप में खारिज नहीं कर सकते। वास्तव में दुर्गम स्थानों में रहने वाले लोग सामान्यतः विभिन्न अत्याचारों से ग्रसित हैं। यह विषय तब और भी अधिक गंभीर हो जाता है जब लोगों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु नियुक्त लोक सेवक ही उनके अधिकारों के हनन का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं कहीं न कहीं इसलिए घटित होती हैं क्योंकि इनके कर्त्ता ये जानते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए दूर–दूर तक कोई नहीं है, खासतौर पर वहां रहने वाले लोगों में जब जानकारी का अभाव हो, अशिक्षित हों तथा राज्य के अपने ही पदाधिकारियों के विरूद्ध पहुंचने में असहाय महसूस करें।

राज्य तंत्र से किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति कि धारणा नहीं होनी चाहिए बल्कि राज्य द्वारा समेकित एवं सामान्य रणनीति तैयार कर दूर–दराज क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पदों में नियुक्त सरकारी पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। इससे न केवल मानव अधिकारों का संवर्द्धन एवं संरक्षण सुनिश्चित होगा बल्कि लोगों के लिए सरकारों द्वारा बनाई गई समाज कल्याण योजनाओं के लिए वितरण तंत्र में भी सुधार होगा। इस प्रकार यदि जमीनी स्तर पर निगरानी एवं रक्षा तंत्र यथास्थान होगा, तो बहुत सी समस्याएं जैसे बंधुआ मज़दूरी, बाल मज़दूरी, मानव अवैध व्यापार, स्थानांतरण आदि पर भी अधिक प्रभावी तरीके से कार्य किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– राज्य मानव अधिकार आयोग की बैठक

न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी, सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों के कार्य की कोई खास तारीफ नहीं की जाती है। वे आयोग की बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मुख्यमंत्रियों के साथ–साथ राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों की बैठक बुलानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण की दिशा में वे प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी, सभा को संबोधित करते हुए।

पृष्ठ 2 पर जारी

बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन

श्री बंदारू दत्तात्रेय, केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि बंधुआ मजदूरी केवल कानून एवं नियमों से समाप्त नहीं हो पाएगी; इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज के रवैये एवं सामंतवादी सोच में बदलाव आवश्यक है। वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 14 फरवरी, 2017 को बंधुआ मजदूरी पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वास्तविक चुनौती यह है कि छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को वापस बंधुआ मज़दूरी में जाने से कैसे रोका जाए?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंगारू दत्तात्रेय

पृष्ठ 3 पर जारी

इस अंक में यह भी देखें

- स्वतः संज्ञान 4
- महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप 5
- राहत के लिए संस्तुतियां 5
- रा.मा.अ.आ. की संस्तुतियों का अनुपालन 7
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारतीय विधि संस्थान के मध्य मीडिया कार्याशाला 7
- श्री पी. वी. के रेड्डी ने राष्ट्रीय मानव आयोग में महानिदेशक (अन्वेषण) का पदभार 8
- अन्य महत्त्वपूर्ण दौरे/संगोष्ठी/कार्यक्रम/सम्मेलन 8

Visit NHRC, India at :
www.nhrc.nic.in

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–.....पृष्ठ 1 का शेष

उन्हें मानव शक्ति, वित्तीय एवं संरचनात्मक संसाधनों को उपलब्ध कराने तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए न्यायमूर्ति भंडारी ने कहा कि जिस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में तथा मानव अधिकारों के हनन की अनेक प्रकार की शिकायतों को आयोग निपटाता है तथा इसकी संस्तुतियों पर सरकारों द्वारा राहत राशि का भुगतान किया जाता है, वह विश्व में अद्वितीय है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र हैं:– मानव तस्करी, पटरी पर रहने वाले बेघर लोग, आतंकवाद के पीड़ित, वायु एवं जल प्रदूषण की गंभीर समस्या। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विश्व में सर्वाधिक बुरी तरह से प्रदूषित शहरों में से निसंदेह रूप से एक है जिसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो रही है।

न्यायमूर्ति भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी अवमानना शक्तियां नहीं हैं

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू

परन्तु इसको मिलने वाले सम्मान के आधार पर इसके अधिकांश निर्देशों को स्वीकृत किया जाता है तथा इस संदर्भ में, उन्होंने 8 अप्रैल, 2016 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय को रेखांकित किया, जिसमें एक मामले में आयोग की संस्तुति के विरूद्ध चुनौती को रद्द कर दिया था जिसमें उत्तरप्रदेश सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों को केवल इस आधार पर दण्ड से मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक संस्तुति करने वाला निकाय है।

इससे पूर्व न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि मानव अधिकार आयोगों की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इस उद्देश्य से की गई कि ये मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों संबंधी उनकी संस्तुतियों पर कार्य करेंगे। परन्तु यहां अनेक बाधाएं हैं, जिनका सामना राज्य मानव अधिकार आयोगों को उनके अधिदेश को प्रभावपूर्ण तरीके से निर्वहन करने में लगातार करना पड़ता है। सबसे अधिक हालांकि पर्याप्त मानवशक्ति, संरचना, वित्तीय संसाधनों की कमी है जिसके लिए राज्य को सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। अब तक 26 राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है। हालांकि, इन राज्यों में भी अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें उनकी संचालन स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों को भरा जाना भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारत का भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या की विविधता, व्यापक गरीबी, अशिक्षा एवं नागरिक समाज एवं लोक पदाधिकारियों के बीच मानव अधिकार जागरूकता की कमी मानव अधिकारों के प्रयास को कठिन बनाते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, जिसमें उचित स्वास्थ्य देखरेख, भोजन, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंच की कमी भी शामिल है। मानव अधिकारों की प्राप्ति में इन बहुविध चुनौतियों से तब तक नहीं निपटा जा सकता जब तक कि राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों को सरकारों का सहयोग नहीं मिलता।

न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों की न्यूनतम मूलभूत संरचना, मानव शक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं के विषय में मुख्यमंत्रियों एवं प्रधानमंत्री को अपनी संस्तुतियां भेजी, आयोग अनुवर्तन कर रहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संघ शासित क्षेत्रों में भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना हेतु रास्ता निकालने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में यथोचित संशोधन करने के लिए भारत सरकार को भी प्रस्ताव दिया है। आयोग मानव अधिकार न्यायलयों के गठन एवं उनके प्रभावी क्रियाकलापों के लिए भी अधिनियम में परिवर्तन के विषय पर भी कार्य कर रहा है।

बैठक चार सत्रों में विभाजित भी जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन, संचालक एवं वित्तीय स्वायत्तता कार्यक्रम, शिकायत प्रबंधन प्रणाली तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों के लिए सामान्य चिन्ताओं के कुछ अन्य विषय शामिल थे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यगणों एवं वरिष्ठ अधिकारीगणों ने भी चर्चा में भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों के सदस्यगण तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के वरिष्ठ अधिकारीगण

बैठक का उद्देश्य

बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों को सुदृढ़ करने तथा मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु प्रभावी बनाने, उनके बीच सहयोग एवं समन्वय के क्षेत्र तलाशने तथा उन्हें सरकारों द्वारा सहायता पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा करना था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गठित एक–दूसरे से स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का राज्य मानव अधिकार आयोग को समर्थन

हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए अपने अधिदेश के अनुसार लगातार राज्य सरकारों को न केवल राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने बल्कि उन्हें संरचनात्मक, वित्तीय एवं मानव शक्ति संसाधनों सहित पूर्णतया संचालित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता रहा है। आयोग, वर्ष 2004 से ही राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ बैठकें करता आ रहा है।

बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन.....पृष्ठ 1 का शेष

बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन हेतु केन्द्र की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री दत्तात्रेय ने बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना के तहत वयस्क पुरुष लाभार्थी को ₹ 20,000 से बढ़ाकर ₹ एक लाख तक की वित्तीय सहायता देने के निर्णय को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देरी से बचने के लिए जिला राष्ट्रीय बाल मज़दूरी प्रोजेक्ट सोसायटी से सीधे ही लाभार्थी के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार, बच्चों जिसमें अनाथ अथवा संगठित एवं जबरन भिक्षावृत्ति गिरोहों से छुड़ाए गए अथवा बाल मज़दूरी के अन्य प्रकार से छुड़ाए गए बच्चे शामिल हैं तथा महिलाओं को

सभा को संबोधित करते हुए रा.मा.आ. के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू

लाभार्थियों की विशेष श्रेणी के रूप में माना जाएगा तथा 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उन मामलों में दी जाएगी जहां बंधुआ मज़दूरी अथवा जबरन मज़दूरी की वंचन अथवा हाशिये की ऐसी चरम दशाएं हों जैसे ट्रांसजेंडर अथवा महिलाएं अथवा बच्चे दिखावटी यौन उत्पीड़न से छुड़ाए गए हों, जैसे कि वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, प्लेसमेंट एजेंसियों अथवा अवैध व्यापार से अथवा अशक्त व्यक्तियों के मामले अथवा ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझा जाए। ये सुविधाएं मूल योजनाओं के लाभों के अतिरिक्त होंगी।

इससे पूर्व अपने उद्घाटन संबोधन में न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि बंधुआ मज़दूरी अहस्तांतरणीय मानव अधिकारों का स्पष्ट रूप से वंचन है तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे खराब रूप है अनेक कानून, परियोजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम एवं योजनाएं होने के बावजूद राष्ट्रीय शासन, लोक निवेश एवं विकास कार्य के रिकॉर्ड इस कुप्रथा के उन्मूलन की दिशा में सतत् कार्य के सबूत से बहुत कम ही मिलान करते हैं, जिसके लिए सामाजिक सेवा वितरण यंत्रावली के संचालन में आमूल सुधार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह सोचना गलत होगा कि बंधुआ मज़दूरी पुराने जमाने की चीज़ है, क्योंकि इसे आज के समय में भी न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि रोजगार के किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है, जिसमें ईंट–भट्टा, पत्थर तोड़ना, नमक बनाने, चमड़ा उद्योग ईकाइयाँ तथा और भी अनेक जगह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भी गरीबी, बेरोजगारी, कम रोजगार, भूमिहीनता, अप्रवास, ऋणग्रस्तता है, तब तक घातक बंधुआ मज़दूरी प्रणाली जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति दत्तू ने संविधानात्मक एवं विधिक प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए आयोग को बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे जाने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बंधुआ मजदूरी उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कुछ कदमों को रेखांकित किया। आयोग ने बंधुआ मज़दूरी के मामलों में मुआवजे की संसतुति की है तथा बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 में अनेक उपबंधों में संशोधन भी किया है।

आयोग ने 1993 में अपने स्थापना काल से ही बंधुआ मज़दूरी के 14,614 मामले दर्ज किए, जिनमें से 13,266 मामलों का निपटान किया जा चुका है। न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन को एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि यह केवल किसी विशेष मंत्रालय अथवा विभाग अथवा अभिकरण से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र से संबंधित है।

बंधुआ मज़दूरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभागियों का एक वर्ग

सम्मेलन के तीन विषयक सत्रों की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री ड़ी मुरुगेशन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की। इनमें बंधुआ मज़दूरी की प्रबलता एवं इसके उन्मूलन की चुनौतियों, देश के विभिन्न भागों में छुड़ाए गए बंधुआ मज़दूरों के राहत एवं पुनर्वास के साथ–साथ सतत् मानव विकास एवं बंधुआ मजदूरी की बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं पर भी विचार किया गया।

इनमें अन्य के साथ–साथ विशिष्ट वक्ताओं जैसे अंतरराष्ट्रीय बंधुआ संगठन (आई.एल.ओ.), यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.), विशेषज्ञों, केन्द्र एवं राज्य सरकार, सभ्य समाज, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा विशेष संपर्ककर्त्ताओं के साथ–साथ राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधियों ने चर्चा की।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अनुभव

आयोग समय–समय पर बंधुआ मजदूरी प्रणाली से जुड़े लोगों के प्रति उत्पीड़न एवं अत्याचार के संबंध में ज्यादा संख्या में शिकायतें प्राप्त करता रहा है।

लगभग सभी मामलों में, रिकॉर्डों एवं रजिस्टरों का रख–रखाव न करने के कारण मुकदमा दायर करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेता है। बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, अपराध में किसी प्रकार का समझौता या बंधुआ मज़दूर मालिकों एवं मज़दूरों के मध्य आपसी सुलह की इज़ाजत नहीं देता। ज्यादातर मामलों में जिला मजिस्ट्रेटों की कार्रवाई एवं आचरण, अपराधों में कमी ला सकता है जैसा कि अधिनियम की धारा 20 में परिभाषित है।

बंधुआ मज़दूर के ज्यादातर मामलों में, मज़दूरी एवं संबंधित खातों के निपटान का स्पष्ट एवं प्रामाणिक प्रमाण नहीं है। जिला एवं उप–मण्डलीय स्तर पर सतर्कता समितियों को पूर्व–स्थापित नहीं किया जा रहा है।

स्वतः संज्ञान

आयोग ने फरवरी, 2017 के दौरान मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकारों के हनन के 3 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया तथा रिपोर्ट हेतु संबंद्ध प्राधिकारियों को नोटिस जारी किए। कुछ मामलों का सार निम्नलिखित है :–

वाणिज्यिक कारणों से ज्यादा संख्या में गर्भाशयोच्छेदन (मामला संख्या 237/10/11/2017)

कर्नाटक के कालाबुरागी जिले में कथित रूप से वाणिज्यिक कारणों की वजह से ज्यादा संख्या में गर्भाशयोच्छेदन प्रक्रिया के मामले में आयोग ने कर्नाटक सरकार एवं महाराष्ट्र शासन के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है जैसा कि इसके पीछे चिकित्सीय प्रामाणिकता मौजूद नहीं थी। दिनांक 26 फरवरी, 2017 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के ओसमानाबाद जिले में उमारणा क्षेत्र "गर्भाशयोच्छेदन क्षेत्र" के रूप में विकसित हो गया है एवं वे कर्नाटक के काबुरागी जिले के सीमांत गांवों से मरीजों को ला रहे हैं। निःसंदेह पीड़ितों के जीवन को दांव पर लगाया जा रहा है क्योंकि गर्भाशय निकालने के पश्चात् कई कठिनाईयां आ जाती हैं। इस मामले पर लगाम लगाने के लिए कर्नाटक राज्य महिला आयोग, कर्नाटक सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया लेकिन इस खतरे की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मृतक कर्मचारी के परिवार को देय राशि का भुगतान न करना (मामला संख्या 852/30/8/2017)

दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम, एस. डी. एम. सी. के एक मृतक कर्मचारी, जिनकी दिनांक 11 जून, 2015 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, के परिवार को देय राशि के भुगतान न करने के मामले में आयोग ने आयुक्त, एस.डी.एम.सी., दिल्ली को नोटिस जारी कर उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 20 फरवरी, 2017 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, व्यथित परिवार द्वारा नगरपालिका निगम, कर्मचारी संघ एवं कई राजनीतिक नेताओं के पास गुहार लगाने का भी कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया एवं अब परिवार एस.डी.एम.सी. मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठने जा रहा है। उनकी अस्थिर आय प्रवाह का अर्थ यह है कि उनका जीवन संघर्षमय बन गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की घटनास्थल पर जांच

नीचे दिए गए निम्नलिखित मामलों में आयोग के अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर जाकर जांच की गई:

क्र. सं.	मामला संख्या	आरोप	Date of visit
1.	39536/24/70/2015	जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में शारीरिक उत्पीड़न के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना।	13 से 17 फरवरी, 2017
2.	280/12/15/2017-डब्लू.सी.	जिला धार, मध्यप्रदेश में पुलिसकार्मिकों द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित 4 महिलाओं एवं दो नाबालिगों का यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना।	15 से 17 फरवरी, 2017
3.	3001/20/23/2014	जिला पाली, राजस्थान में हिंसा के पीड़ितों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार एवं कार्रवाई न करना।	20 से 24 फरवरी, 2017
4.	681/34/15/2015-ए.एफ.ई.	झारखण्ड के बकोरिया गांव में मुठभेड़ में 12 लोगों की मौत।	27 फरवरी, 2017 से 3 मार्च, 201

महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप

छत्तीसगढ़ सरकार ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की

बस्तर में सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों सहित अकादमियों एवं पत्रकारों के खिलाफ पुलिस के विद्वेश पर दिनांक 30 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान उपस्थित छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार की कार्य योजना के बारे में दिनांक 3 फरवरी, 2017, शुक्रवार तक सूचित करने का निदेश दिया था। इसके उत्तर में, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सूचना दी है कि उन्होंने पूर्णरूपेण मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए छः बिन्दु की कार्ययोजना तैयार की है।

तत्काल उपाय के रूप में, राज्य सरकारों ने विशेष पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (नक्सल ऑपरेशन) को स्थायी निदेश दिए हैं कि वह अपर पुलिस महानिदेशक (सी.आई.डी.) को मानव अधिकारों का पूर्णतया उल्लंघन जिस पर कार्रवाई धीमी गति से हुई है या फिर निचले स्तरों पर इसका अभाव या अपर्याप्त है, पर कार्रवाई हेतु तुरंत सिफारिश करे। अन्य उपायों में निम्न शामिल थेः

1. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या कहीं और अपनी ड्यूटी के दौरान मानव अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पुलिस महानिदेशक बस्तर मण्डल में पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन सुनिश्चित करे।
2. मानव अधिकार उल्लंघन के भयानक परिणाम होंगे सभी पुलिस अधिकारीगण उनके कमांड के अधीन पुलिस कार्मिकों के साथ इसके अनुपालन की जिम्मेदारी होगी।
3. अखिल भारतीय पुलिस सेवा के वार्षिक प्रदर्शन निर्धारण में उनके मानव अधिकारों पर प्रदर्शन हेतु एक अलग से कॉलम रहेगा।
4. मानव अधिकार मुद्दों पर शिकायत प्राप्त करने तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु बस्तर के सभी सात नक्सल प्रभावित जिलों में जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक मानव अधिकार संरक्षण समिति की स्थापना की गई है।
5. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण समिति की स्थापना की गई है। इसमें केवल उन मामलों का निपटान किया जाएगा जिनकी सुनवाई जिला स्तर पर नहीं की गई हो या फिर जहां जिला समिति द्वारा की गई कार्रवाई पर शिकायतकर्त्ता संतुष्ट न हो।

मध्य प्रदेश के धार जिले में पुलिस द्वारा सामुहिक बलात्कार का आरोप

दिनांक 25 जनवरी, 2017 को जिला धार, मध्यप्रदेश के भुटिया एवं होलिबयदा गांवों के नौ अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं ने यह शिकायत की कि वे बलात्कार, यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ सहित पुलिस नृशंसता की शिकार हुई है।

आयोग ने यह पाया कि लगाए गए आरोप पुलिस कार्मिकों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के गम्भीर मुद्दों को उजागर करता है। अतः आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को घटनास्थल पर जाकर जांच कर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक दल तैनात करने का निदेश दिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रामजस कॉलेज के बाहर पुलिस अत्याचार के आरोप

आयोग ने एक शिकायत प्राप्त की कि, दिनांक 22 फरवरी, 2017 को दिल्ली विश्वविद्यालय कैम्पस में रामजस कॉलेज के बाहर पुलिस कार्मिकों ने छात्रा पर हमला किया तथा इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे मीडिया कर्मियों के कैमरे भी छीन लिए। कथित रूप से, इस हमले को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों पर पुलिस द्वारा थप्पड़, घूंसा एवं लात मारी गई। सोशल मीडिया पर कुछ विद्यार्थियों पर धमकी सहित मीडिया में प्रकाशित इस तरह की रिपोर्टों को आयोग ने रिकॉर्ड में लिया है। तदनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है।

राहत के लिए संस्तुतियां

आयोग के प्रत्येक सदस्यों द्वारा प्रतिदिन बड़ी संख्या में मामलों का निपटान करने के अलावा फरवरी, 2017 में पूर्ण आयोग की 02 बैठकों में 17 मामलों तथा खंडपीठ की 04 बैठकों में 68 मामलों पर विचार किया गया।

नीचे टेबल पर दिए गए 24 मामले जहां आयोग ने यह पाया कि लोक सेवक ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है या फिर उनके संरक्षण में लापरवाही बरती है, वहां आयोग ने पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधियों को ₹ 31.8 लाख की आर्थिक सहायता की सिफारिश की है।

क्र.सं.	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	संस्तुत राशि (रु. में)	लोक प्राधिकारी
1.	2166/4/23/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	बिहार सरकार
2.	4598/4/26/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	बिहार सरकार
3.	1887/7/6/2015-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	हरियाणा सरकार
4.	1447/34/11/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तील लाख	झारखण्ड सरकार
5.	1385/13/28/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	महाराष्ट्र सरकार
6.	1454/13/9/2014-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	महाराष्ट्र सरकार
7.	496/13/23/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	महाराष्ट्र सरकार
8.	273/19/13/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	पंजाब सरकार
9.	23902/24/31/2012-एडी	न्याय हिरासत में आरोपित क़ानूनी मृत्यु	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
10.	1386/13/17/09-10-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	एक लाख	महाराष्ट्र सरकार
11.	3022/12/46/2014	हिरासत में यातना	दो लाख	मध्य प्रदेश सरकार
12.	22473/24/43/2014	हिरासत में यातना	पचास हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
13.	27032/24/8/2014	हिरासत में यातना	पचास हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
14.	1066/25/13/2014	हिरासत में यातना	पच्चीस हजार	पश्चिम बंगाल सरकार
15.	841/12/23/2014	झूठी प्रभाव	पच्चीस हजार	मध्य प्रदेश सरकार
16.	4345/30/0/2013	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	दो लाख	एनसीटी दिल्ली सरकार
17.	514/34/11/2015	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	पच्चीस हजार	झारखंड सरकार
18.	834/12/7/2014	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	नौ लाख	मध्य प्रदेश सरकार
19.	1806/18/31/2014	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख	ओडिशा सरकार
20.	5027/18/31/2015	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	छः हजार	ओडिशा सरकार
21.	29796/24/13/2013	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
22.	1831/13/13/2015	हिरासत में यातना	पांच हजार	महाराष्ट्र सरकार
23.	29716/24/52/2014	झूठी प्रभाव	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
24.	11351/18/26/2015	सत्ता का दुरुपयोग	पच्चीस हजार	ओडिशा सरकार
25.	17590/24/6/2014	सत्ता का दुरुपयोग	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
26.	39429/24/57/2012	अवैध गिरफ्तार	पांच हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
27.	3007/7/3/2014-डब्ल्यूसी	बलात्कार	तीन लाख	हरियाणा सरकार
28.	2971/20/9/2014	एससी/एसटी/ओबीसी पर अत्याचार	पच्चीस हजार	राजस्थान सरकार
29.	12095/18/8/2015	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	एक लाख पच्चीस हजार	ओडिशा सरकार
30.	25272/24/51/2013	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
31.	13742/24/63/2013	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
32.	17661/24/75/2014	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
33.	2430/18/12/2014	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	पांच हजार	ओडिशा सरकार
34.	35/14/12/09-10-पीएफ	कथित नकली मुठभेड़ (अर्द्ध सैन्य बलों)	पचास लाख	मणिपुर सरकार
35.	705/18/3/2015	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनियमितताएं	एक लाख	ओडिशा सरकार
36.	40361/24/55/2013	अवैध गिरफ्तारी	पचास हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
37.	42848/24/31/2012	अवैध गिरफ्तारी	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
38.	29370/24/56/2013-डब्ल्यूसी	अपहरण/बलात्कार	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
39.	3380/4/26/2014	स्थानीय बदमाशों द्वारा बाधा	आठ लाख	बिहार सरकार
40.	977/19/2/2014	मेडिकल प्रोफेशनल का निष्कासन	पच्चीस हजार	पंजाब सरकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन

फरवरी, 2017 में आयोग ने अपनी सिफारिश के अनुसार विभिन्न लोक प्राधिकारियों से मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधियों को भुगतान के प्रमाण के साथ कुल ₹ 53.3 लाख रुपये की राशि की 31 अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त की हैं।

क्र.सं.	मामला संख्या	शिकायत की प्रकृति	संस्तुत राशि (रु. में)	लोक प्राधिकारी
1.	2632/30/1/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	एनसीटी दिल्ली सरकार
2.	6040/7/10/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	हरियाणा सरकार
3.	222/8/9/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	हिमाचल प्रदेश सरकार
4.	2028/13/19/2014-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	महाराष्ट्रा सरकार
5.	2146/13/14/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	महाराष्ट्रा सरकार
6.	12/19/3/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	पंजाब सरकार
7.	1022/20/22/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	राजस्थान सरकार
8.	57/20/17/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	राजस्थान सरकार
9.	1750/22/36/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	तमिलनाडु सरकार
10.	300/1/7/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	तेलंगाना सरकार
11	880/1/23/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	तेलंगाना सरकार
12.	1027/24/51/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
13.	18844/24/3/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
14.	34239/24/7/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
15.	606/25/10/2010-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	पश्चिम बंगाल सरकार
16.	568/25/7/09-10-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	दो लाख	पश्चिम बंगाल सरकार
17.	246/8/11/2014-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	एक लाख	हिमाचल प्रदेश सरकार
18.	2679/18/2/2014	हिरासत में यातना	पांच लाख	ओडिशा सरकार
19.	3555/4/19/2012	शक्ति का दुरुपयोग	छः हजार	बिहार सरकार
20.	2819/24/39/2014	शक्ति का दुरुपयोग	पच्चास हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
21.	4559/24/17/2015-डब्ल्यूसी	बलात्कार	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
22.	33255/24/30/2013-डब्ल्यूसी	अपहरण/बलात्कार	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
23.	2585/20/2/2011-डब्ल्यूसी	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	एक लाख	राजस्थान सरकार
24.	841/12/23/2014	झूठी प्रभाव	पच्चीस हजार	मध्य प्रदेश सरकार
25.	25145/24/39/2013	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	पच्चीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
26.	3072/7/2/2012	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	एक लाख	हरियाणा सरकार
27.	2237/12/10/2013	कानूनी कार्यवाही करने में विफलता	पच्चीस हजार	मध्य प्रदेश सरकार
28.	6/33/0/2011	पुलिस फायरिंग में मौत	पांच लाख	छत्तीसगढ़ सरकार
29.	52/14/4/2011-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	पांच लाख	मणिपुर सरकार
30.	9/14/4/2010-एएफई	कथित नकली मुठभेड़	पांच लाख	मणिपुर सरकार
31.	7931/30/6/2012	उत्पीड़न	बीस हजार	एनसीटी दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से मीडिया पर कार्यशाला

दिनांक 22 फरवरी, 2017 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय विधि संस्थान, आई.एल.आई. के साथ 'मीडिया एवं मानव अधिकारः मुद्दे एवं चुनौतियां' विषय पर मीडिया कार्मिकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं डॉ0 मनोज सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने कहा कि

मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में मीडिया एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन लोगों ने इस संदर्भ में कई उदाहरण दिए। इस संगोष्ठी में मीडिया कार्मिकों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों में मीडिया संचार के लिए कार्यरत अधिकारीगण एवं विधि विद्यार्थीगण उपस्थित हुए।

इस संगोष्ठी के दौरान चार विषयगत सत्रों में श्री जैमिनी कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मी. एवं सं.), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री सुधांशु रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन, श्री शशांक शेखर, सदस्य, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एवं प्रो. पुष्पेश के. पंत, अध्यक्ष, नॉर्थ कैम्प विश्वविद्यालय, गुरूग्राम ने क्रमानुसार 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं मीडिया की भूमिका', 'मानव अधिकार उल्लंघनः पहचान एवं महत्त्वपूर्ण चिंताओं तथा चुनौतियों की रिपोर्टिंग', 'बाल अधिकारों के संरक्षण में मीडिया की भूमिका एवं जेंडर सरोकारः पीड़ितों को न्याय दिलाने में मीडिया की भूमिका' विषय पर सभा को संबोधित किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव, डॉ. रणजीत सिंह, दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

श्री पी. वी. के .रेड्डी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में महानिदेशक (अन्वेषण) का पदभार ग्रहण किया

श्री पी. वी. कृष्णा रेड्डी ने दिनांक 2 फरवरी, 2017 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में महानिदेशक (अन्वेषण) का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शामिल होने से पूर्व, श्री रेड्डी, त्रिपुरा कैडर के 1982 बैच के आई.पी.एस. अफसर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। अपने पैरेंट कैडर में महत्त्वपूर्ण पद संभालने के अलावा, श्री रेड्डी सी.आर.पी.एफ. में विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्हें वर्ष 1988 में 'मेधावी सेवा' के लिए तथा वर्ष 2008 में 'विशिष्ट सेवा' के लिए पुलिस मेडल के साथ–साथ कई सारे मेडल एवं पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण दौरे/संगोष्ठी/कार्यक्रम/सम्मेलन

विषय	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रतिनिधिमण्डल
दिनांक 22 फरवरी, 2017 को मुंबई में व्यापार एवं मानव अधिकारों पर पश्चिमी क्षेत्रीय परामर्श	दिनांक 24–26 फरवरी, 2017 को यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, बैंगलुरू में ऑल इण्डिया मूट कोर्ट कंपटीशन, 2017
न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, डॉ. एस. एन. मोहन्ती, महासचिव एवं श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)	न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, एवं श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)

दिसम्बर, 2016 में प्राप्त/निपटाए गए मामले (प्रारंभिक आकलन के अनुसार)

आयोग में प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	**5464**
नए एवं पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	**8413**
नये एवं पुराने मामलों सहित आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या	**32506**

आयोग के महत्त्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

मदद केन्द्र : 011–2465 1330
शिकायत हेतु : फैक्स : 011–2465 1332

महत्वपूर्ण ई–मेल पता

jrlawnhrc@nic.in (शिकायत हेतु),
cr.nhrc@nic.in (सामान्य पूछताछ/पत्राचार हेतु)

मानव अधिकार पक्षकारों के लिए फोकल प्वाइंट

मोबाइल : 9810298900, फैक्स नं. 011–2465 1334
ई–मेल : hrd-nhrc@nic.in

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है
गैर सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के ह्यूमन राइट्स समाचार में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनःप्रकाशित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी–ब्लाक, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली–110023 की ओर से **जैमिनि कुमार श्रीवास्तव, उप–निदेशक (मीडिया एवं संचार),** द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित मुद्रकः डॉलफिन प्रिन्टो–ग्राफिक्स, 4ई/7, पाबला बिल्डिंग, झण्डेवालान एक्सटेशन, नई दिल्ली–110055
सम्पादक : जैमिनि कुमार श्रीवास्तव,

डिजाईन : जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
हिंदी संस्करण : अनूदित राजभाषा एकांश, रा.मा.अ.आ.

संपादक संपर्क : दूरभाष : 91–11–24663281, ई–मेलः **dydir.media.nhrc@nic.in**